[फा. सं. 17—2/2001—एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2016

G.S.R. 320(E).—Whereas the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 published vide notification number S.O 249(E), dated 4th February, 2011 by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, as amended from time to time, provided a regulatory frame work for management of plastic waste generated in the country;

And whereas, to implement these rules more effectively and to give thrust on plastic waste minimization, source segregation, recycling, involving waste pickers, recyclers and waste processors in collection of plastic waste fraction either from households or any other source of its generation or intermediate material recovery facility and adopt polluter's pay principle for the sustainability of the waste management system, the Central Government reviewed the existing rules;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the draft rules, namely, the Plastic Waste Management, Rules, 2015 were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number G.S.R. 423(E), dated the 25th May, 2015 in the Gazette of India, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 25th May, 2015;

And Whereas the objections and suggestions received within the said period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government**;**

NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules shall be called the Plastic Waste Management Rules, 2016.

(1) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.-(1) These rules shall apply to every waste generator, local body, Gram Panchayat, manufacturer, Importers and producer.

(2) The rule 4 shall not apply to the export oriented units or units in special economic zones, notified by the Central Government, manufacturing their products against an order for export: Provide this exemption shall not apply to units engaged in packaging of gutkha, tobacco and pan masala and also to any surplus or rejects, left over products and the like.

3. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires.-

(a) **"Act"** means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) **"brand owner"** means a person or company who sells any commodity under a registered brand

label.

(c) **"carry bags"** mean bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.

(d) **"commodity"** means tangible item that may be bought or sold and includes all marketable goods or wares;

(e) "**compostable plastics**" mean plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO_2, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials, excluding conventional petro-based plastics, and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;

(f) **"consent"** means the consent to establish and operate from the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee granted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);

(g) "**disintegration**" means the physical breakdown of a material into very small fragments;

(h) **"extended producer's responsibility "** means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;

(i) **"food-stuffs"** mean ready to eat food products, fast food, processed or cooked food in liquid, powder, solid or semi-solid form;

(j) **"facility"** means the premises used for collection, Storage, recycling, processing and disposal of plastic waste;

(k) **"importer"** means a person who imports or intends to import and holds an Importer -Exporter Code number, unless otherwise specifically exempted.

(l) **"institutional waste generator"** means and includes occupier of the institutional buildings such as building occupied by Central Government Departments, State Government Departments, public or private sector companies, hospitals, schools, colleges, universities or other places of education, organisation, academy, hotels, restaurants, malls and shopping complexes;

(m) "**manufacturer"** means and include a person or unit or agency engaged in production of plastic raw material to be used as raw material by the producer.

(n) **"multilayered packaging"** means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main ingredients in combination with one or more layers of materials such aspaper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;

(o) **"plastic"** means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyl, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene, polyphenylene oxide, polycarbonate, Polybutylene terephthalate;

(p) **"plastic sheet"** means Plastic sheet is the sheet made of plastic;

(q) **"plastic waste"**means any plastic discardedafter use or after their intended use is over;

(r) **"prescribed authority"** means the authorities specified in rule 12;

(s) **"producer"** means persons engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;

(t) **"recycling"** means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing new products;

(u) **"registration"** means registration with the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned, as the case may be;

(v) **"street vendor"** shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014);

(w) **"local body"** means urban local body with different nomenclature such as municipal corporation, municipality, nagarpalika, nagarnigam, nagarpanchayat, municipal council including notified area committee (NAC) and not limited to or any other local body constituted under the relevant statutes such as gram panchayat, where the management of plastic waste is entrusted to such agency;

(x) **"virgin plastic"** means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;

(y) **"waste generator"** means and includes every person or group of persons or institution, residential and commercial establishments including Indian Railways, Airport, Port and Harbour and Defense establishments which generate plastic waste;

(z) **"waste management"** means the collection, storage, transportation reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste in an environmentally safe manner;

(aa) **"waste pickers"** mean individuals or agencies, groups of individuals voluntarily engaged or authorised for picking of recyclable plastic waste.

4. Conditions.- (1) The manufacture, importer stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheet and multilayered packaging, shall be subject to the following conditions, namely:-

a) carry bags and plastic packaging shall either be in natural shade which is without any added pigments or made using only those pigments and colourants which are in conformity with Indian Standard : IS 9833:1981 titled as "List of pigments and colourants for use in plastics in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water", as amended from time to time;

b) Carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic shall not be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff';

c) carry bag made of virgin or recycled plastic, shall not be less than fifty microns in thickness;

d) plastic sheet or like, which is not an integral part of multilayered packaging and cover made of plastic sheet used for packaging, wrapping the commodity shall not be less than fifty microns in thickness except where the thickness of such plastic sheets impair the functionality of the product;

e) the manufacturer shall not sell or provide or arrange plastic to be used as raw material to a producer, not having valid registration from the concerned State Pollution Control Boards or Pollution Control Committee;

f) sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala;

g) recycling of plastic waste shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;

h) The provision of thickness shall not be applicable to carry bags made up of compostable plastic. Carry bags made from compostable plastics shall conform to the Indian Standard: IS 17088:2008 titled as Specifications for Compostable Plastics, as amended from time to time. The manufacturers or seller of compostable plastic carry bags shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling; and

i) plastic material, in any form including Vinyl Acetate - Maleic Acid - Vinyl Chloride Copolymer, shall not be used in any package for packaging gutkha, pan masala and tobacco in all forms.

5. Plastic waste management.- (1) The plastic waste management by the urban local bodies in their respective jurisdiction shall be as under:-

(a) plastic waste, which can be recycled, shall be channelized to registered plastic waste recycler and recycling of plastic shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time.

(b) local bodies shall encourage the use of plastic waste (preferably the plastic waste which cannot be further recycled) for road construction as per Indian Road Congress guidelines or energy recovery or waste to oil etc. The standards and pollution control norms specified by the prescribed authority for these technologies shall be complied with.

(c) Thermo set plastic waste shall be processed and disposed off as per the guidelines issued from time to time by the Central Pollution Control Board.

(d) The inert from recycling or processing facilities of plastic waste shall be disposed of in compliance with the Solid Waste Management Rules, 2000 or as amended from time to time.

6. Responsibility of local body.- (1) Every local body shall be responsible for development and setting up of infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste either on its own or by engaging agencies or producers.

(2) The local body shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the waste management system and for performing the associated functions, namely:-

(a) Ensuring segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of plastic waste;

(b) ensuring that no damage is caused to the environment during this process;

(c) ensuring channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers;

(d) ensuring processing and disposal on non-recyclable fraction of plastic waste in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board;

(e) creating awareness among all stakeholders about their responsibilities;

(f) engaging civil societies or groups working with waste pickers; and

(g) ensuring that open burning of plastic waste does not take place.

(3) The local body for setting up of system for plastic waste management shall seek assistance of producers and such system shall be set up within one year from the date of final publication of these rules in the Official Gazaette of India.

(4) The local body to frame bye-laws incorporating the provisions of these rules.

7. Responsibility of Gram Panchayat.- (1) Every gram panchayat either on its own or by engaging an agency shall set up, operationalise and co-ordinate for waste management in the rural area under their control and for performing the associated functions, namely,-

(a) ensuring segregation, collection, storage, transportation, plastic waste and channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers having valid registration; ensuring that no damage is caused to the environment during this process;

(b) creating awareness among all stakeholders about their responsibilities; and

(c) ensuring that open burning of plastic waste does not take place

8. Responsibility of waste generator.- (1) The waste generator shall.-

(a) take steps to minimize generation of plastic waste and segregate plastic waste at source in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2000 or as amended from time to time.

(b) not litter the plastic waste and ensure segregated storage of waste at source and handover segregated waste to urban local body or gram panchayat or agencies appointed by them or registered waste pickers', registered recyclers or waste collection agencies;

(2) All institutional generators of plastic waste, shall segregate and store the waste generated by them in accordance with the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified vide S.O. 908(E) dated the 25th September, 2000 under the Act or amendment from time to time and handover

segregated wastes to authorized waste processing or disposal facilities or deposition centers either on its own or through the authorized waste collection agency.

(3) All waste generators shall pay such user fee or charge as may be specified in the bye-laws of the local bodies for plastic waste management such as waste collection or operation of the facility thereof, etc.;

(4) Every person responsible for organising an event in open space, which involves service of food stuff in plastic or multilayered packaging shall segregate and manage the waste generated during such events in accordance with the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified vide
S.O. 908(E) dated the 25th September, 2000 under the Act or amendment from time to time.

9. Responsibility of producers, **Importers and Brand Owners.-** (1) The producers, within a period of six months from the date of publication of these rules, shall work out modalities for waste collection system based on Extended Producers Responsibility and involving State Urban Development Departments, either individually or collectively, through their own distribution channel or through the local body concerned.

(2) Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection to be submitted to the State Pollution Control Boards while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal. The Brand Owners whose consent has been renewed before the notification of these rules shall submit such plan within one year from the date of notification of these rules and implement with two years thereafter.

(3) manufacture and use of non- recyclable multilayered plastic if any should be phased out in Two years time.

(4) The producer, within a period of three months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette shall apply to the Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, of the States or the Union Territories administration concerned, for grant of registration.

(5) No producer shall on and after the expiry of a period of Six Months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette manufacture or use any plastic or multilayered packaging for packaging of commodities without registration from the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees.

(6) Every producer shall maintain a record of details of the person engaged in supply of plastic used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet or like or cover made of plastic sheet or multilayered packaging.

10. Protocols for compostable plastic materials.-Determination of the degree of degradability and degree of disintegration of plastic material shall be as per the protocols of the Indian Standards listed in Schedule-I to these rules.

11. Marking or labelling.-(1) Each plastic carry bag and multilayered packaging shall have the following information printed in English namely,-

(a) name, registration number of the manufacturer and thickness in case of carry bag;

(b) name and registration number of the manufacturer in case of multilayered packaging; and

(c) name and certificate number [Rule 4(h)] in case of carry bags made from compostable plastic

(2) Each recycled carry bag shall bear a label or a mark “recycled” as shown below and shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as “Guidelines for Recycling of Plastics”, as amended from time to time;



NOTE: PET-Polyethylene terephthalate, HDPE-High density polyethylene, V-Vinyl (PVC), LDPE- Low density polyethylene, PP-Polypropylene, PS-Polystyrene and Other means all other resins and multi-materials like ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PPO (Polyphenylene oxide), PC (Polycarbonate), PBT (Polybutylene terephalate) etc.

Each carry bag made from compostable plastics shall bear a label "compostable" and shall conform to the Indian Standard : IS or ISO 17088:2008 titled as Specifications for "Compostable Plastics".

12. Prescribed authority.- (1) The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to registration, manufacture of plastic products and multilayered packaging, processing and disposal of plastic wastes.

(2) The concerned Secretary-in-charge of Urban Development of the State or a Union Territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging.

(3) The concerned Gram Panchayat shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by the waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging in the rural area of the State or a Union Territory.

(4) The authorities referred to in sub-rules (1) to (3) shall take the assistance of the District Magistrate or the Deputy Commissioner within the territorial limits of the jurisdiction of the concerned district in the enforcement of the provisions of these rules.

13. Registration of producer, recyclers and manufacturer,- (1) No person shall manufacture carry bags or recycle plastic bags or multilayered packaging unless the person has obtained a registration from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned, as the case may be, prior to the commencement of production;

(2) Every producer shall, for the purpose of registration or for renewal of registration, make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union territory concerned, in Form I

(3) Every person recycling or processing waste or proposing to recycle or process plastic waste shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, for grant of registration or renewal of registration for the recycling unit, in Form II.

(4) Every manufacturer engaged in manufacturer of plastic to be used as raw material by the producer shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union territory concerned, for the grant of registration or for the renewal of registration, in Form III.

(5) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not issue or renew registration to plastic waste recycling or processing units unless the unit possesses a valid consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) along with a certificate of registration issued by the District Industries Centre or any other Government agency authorised in this regard.

(6) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not renew registration of producer unless the producer possesses and action plan endorsed by the Secretary in charge of Urban Development of the concerned State or Union Territory for setting of plastic waste management system.

(7) On receipt of the application complete in all respects for the registration for recycling or processing of plastic waste under sub-rule (3), the State Pollution Control Board may, after such inquiry as it considers necessary and on being satisfied that the applicant possesses appropriate facilities, technical capabilities and equipment to handle plastic waste safely, may grant registration to the applicant on fulfilment of the conditions as may be laid down in terms of registration.

(8) Every State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall take a decision on the grant of registration within ninety days of receipt of an application which is complete in all respects.

(9) The registration granted under this rule shall initially be valid for a period of one year, unless revoked, suspended or cancelled and shall subsequently be granted for three years.

(10) State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees shall not revoke, suspend or cancel registration without providing the opportunity of a hearing to the producer or person engaged in recycling or processing of plastic wastes.

(11) Every application for renewal of registration shall be made at least one hundred twenty days before the expiry of the validity of the registration certificate.

14. Responsibility of retailers and street vendors- (1) Retailers or street vendors shall not sell or provide commodities to consumer in carry bags or plastic sheet or multilayered packaging, which are not manufactured and labelled or marked, as per prescribed under these rules.

(2) Every retailers or street vendors selling or providing commodities in, plastic carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like or covers made of plastic sheets which are not manufactured or labelled or marked in accordance with these rules shall be liable to pay such fines as specified under the bye-laws of the local bodies.

15. Explicit pricing of carry bags.- (1) The shopkeepers and street vendors willing to provide plastic carry bags for dispensing any commodity shall register with local body. The local body shall, within a period of six months from the date of final publication of these rules ion the Official Gazette of India notification of these rules, by notification or an order under their appropriate state statute or byelaws shall make provisions for such registration on payment of plastic waste management fee of minimum rupees forty eight thousand @ rupees four thousand per month. The concerned local body may prescribe higher plastic waste management fee, depending upon the sale capacity. The registered shop keepers shall display at prominent place that plastic carry bags are given on payment.

(2) Only the registered shopkeepers or street vendors shall be eligible to provide plastic carry bags for dispensing the commodities.

(3) The local body shall utilize the amount paid by the customers for the carry bags exclusively for the sustainability of the waste management system within their jurisdictions.

16. State Level Monitoring Committee.- (1) The State government or the union Territory shall, for the purpose of effective monitoring of implementation of these rules, constitute a State Level Advisory Committee consisting of the following persons, namely;-

(a)	the Secretary, Department of Urban Development	- Chairman
(b)	Director from State Department of Environment	- Member
(c)	Member Secretary from State Pollution Control Board or Pollution Control Committee	- Member
(d)	Municipal Commissioner	- Member
(e)	one expert from Local Body	- Member
(f)	one expert from Non-Governmental involved in Waste Management	- Member

(g)	Commissioner, Value Added Tax or his nominee,	- Member
(h)	Sales Tax Commissioner or Officer	- Member
(i)	representative of Plastic Association, Drug Manufacturers Association, Chemical Manufacturers Association	- Member
(j)	one expert from the field of Industry	- Member and
(k)	one expert from the field of academic institution	- Member
(l)	Director , Municipal Administration	- Convener

The State Level Advisory Body shall meet at least once in Six Month and may invite experts, if it considers necessary.

17. Annual reports.- (1) Every person engaged in recycling or processing of plastic waste shall prepare and submit an annual report in Form-IV to the local body concerned under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30th April, of every year.

(2) Every local body shall prepare and submit an annual report in Form –V to the concerned Secretary-in-charge of the Urban Development Department under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30th June, every year.

(3) Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare and submit an annual report in Form VI to the CPCB on the implementation of these rules by the 31st July, of every year.

(4) The CPCB shall prepare a consolidated annual report on the use and management of plastic waste and forward it to the Central Government along with its recommendations before the 31st August of every year.

IndiaCode

SCHEDULE-I

[See rule 10]

1.	IS / ISO 14851: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by measuring the oxygen demand in a closed Respirometer
2.	IS / ISO 14852: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by analysis of evolved carbon dioxide
3.	IS / ISO 14853: 2005 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system-Method by measurement of biogas production
4.	IS /ISO 14855-1: 2005 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-1 General method)
5.	IS / ISO 14855-2: 2007 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory- scale test)
6.	IS / ISO 15985: 2004 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation and disintegration under high-solids anaerobic digestion conditions- Methods by analysis of released biogas
7.	IS /ISO 16929: 2002 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot - scale test
8.	IS / ISO 17556: 2003 Plastics- Determination of ultimate aerobic biodegradability in soil by measuring the oxygen demand in a Respirometer or the amount of carbon dioxide evolved
9.	IS / ISO 20200:2004 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory - scale test

FORM - I

[See rules 13 (2)]

APPLICATION FOR REGISTRATION FOR PRODUCERS or Brand Owners

From:

……

…….(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

.....……. Pollution Control Board or Pollution Control Committee

…….

…….

Sir,

I /We hereby apply for registration under rule 9 of the Plastic Waste Management Rules, 2015

1. Producers

	PART – A GENERAL	
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	Registration required for manufacturing of: (i) Carry bags; (a) petro- based, (b) Compostable (ii) Multilayered plastics	
(d)	Manufacturing capacity	
(e)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
4. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
5.	Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and water.	
6.	Status of compliance with these rules- Thickness – fifty micron (Yes/No)	
	PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS	
7.	(a) Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
	(b) Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
	PART – C PERTAINING TO WASTE	
8.	Solid Wastes or rejects: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
9.	Attach or Provide list of person supplying plastic to be used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet of like or multilayered packaging	

IndiaCode

10.	Attach or provide list of personnel or Brand Owners to whom the products will be supplied	
11.	Action plan on collecting back the plastic wastes	

Name and Signature

Designation

Date :
Place :

II Brand Owners:

	PART – A GENERAL	
1.	Name, Address and Contact number	
2	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
3	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
4.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
5. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
	PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS	
5	Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
6	Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
	PART – C PERTAINING TO WASTE	
7.	Solid Wastes or rejects: (c) Total quantum of waste generated (d) Mode of storage within the plant (d) Provision made for disposal of wastes	
8.	Attach or Provide list of person supplying plastic material	
9	Action plan on collecting back the plastic wastes	

Name and Signature
Designation

Date :

Place :

FORM - II

[see rule 13 (3)]

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF UNITS ENGAGED IN PROCESSING OR RECYCLING OF PLASTIC WASTE

1.	Name and Address of the unit	
2.	Contact person with designation, Tel./Fax /email	

3.	Date of commencement					
4.	No. of workers (including contract labour)					
5.	Consents Validity	a. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974; Valid up to _____ b. Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981; Valid up to_____ c. Authorization ; valid up to ….				
6.	Manufacturing Process	Please attach a flow diagram of the manufacturing process flow diagram for each product.				
7.	Products and installed capacity of production (MTA)	Products			Installed capacity	
8.	Waste Management:	S. No.	Type	Category	Qty.	
	a. Waste generation in processing plastic-waste	(i)				
		(ii)				
		(iii)				
	b. Waste Collection and transportation (attach details)					
	c. Waste Disposal details	S. No.	Type	Category	Qty	
		(i)				
		(ii)				
	d. Provide details of the disposal facility, whether the facility is authorized by SPCB or PCC					
	e. Please attach analysis report of characterization of waste generated (including leachate test if applicable)					
9.	Details of plastic waste proposed to be acquired through sale, auction, contract or import, as the case may be, for use as raw material	(i) Name (ii) Quantity required /year				
10.	Occupational safety and health aspects	Please provide details of facilities				
11.	Pollution Control Measures					
	Whether the unit has adequate pollution control systems or equipment to meet the standards of emission or effluent.	If Yes, please furnish details				
	Whether unit is in compliance with conditions laid down in the said rules.	Yes/No				
	Whether conditions exist or are likely to exist of the material being handled or processed posing adverse immediate or delayed impacts on the environment.	Yes/No				
	Whether conditions exist (or are likely to exist) of the material being handled or processed by any means capable of yielding another material (e.g. leachate) which may possess eco-toxicity.	Yes/No				
12.	Any other relevant information including fire or accident mitigative measures					
13.	List of enclosures as per rule					

Name and Signature

Designation

Date :

Place :

FORM - III

[See rules 13(4)]

APPLICATION FOR REGISTRATION FOR MANUFACTURERS OF PLASTIC RAW MATERIALS

From:

……

…….(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

.....……. Pollution Control Board or Pollution Control Committee

…….

…….

Sir,

I/We hereby apply for registration under the Plastic Waste Management Rules, 2011

PART – A GENERAL		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the DIC or DCSSI of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
(c)	List of producers and quantum of raw materials supplied to producers	
		Name and Signature Designation
Date : Place :		

IndiaCode

Form - IV

[See rules 17 (1)]

FORMAT OF ANNUAL REPORT BY OPERATOR OF PLASTIC WASTE PROCESSING OR RECYCLING FACILITY TO THE LOCAL BODY

Period of Reporting:

(1)	Name and Address of operator of the facility	
(2)	Name of officer in-charge of the facility (Telephone/Fax/Mobile/ E-mail)	
(3)	Capacity:	
(4)	Technologies used for management of plastic waste:	
(5)	Quantity of plastic waste received during the year being reported upon along with the source	
(6)	Quantity of plastic waste processed (in tons): - Plastic waste recycled(in tons) - Plastic waste processed (in tons) - Used (in tons)	
(7)	Quantity of inert or rejects sent for final disposal to landfill sites:	
(8)	Details of land fill facility to which inert or rejects were sent	

	for final disposal: - Address -Telephone	
(9)	Attach status of compliance to environmental conditions, if any specified during grant of Consent or registration	

Signature of Operator

Dated :

Place:

Form - V

[See rules 17(2)]

FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE LOCAL BODY

Period of Reporting:

(1)	Name of the City or Town and State:	
(2)	Population	
(3)	Area in sq. kilometers	
(4)	Name & Address of Local body Telephone No. Fax No. E-mail:	
(5)	Total Numbers of the wards in the area under jurisdiction	
(6)	Total Numbers of Households in the area under jurisdiction	
(7)	Number of households covered by door to door collection	
(8)	Total number of commercial establishments and Institutions in the area under jurisdiction -Commercial establishments - Institutions	
(9)	Number of commercial establishments and Institutions covered by door to door collection -Commercial establishments - Institutions	
(10)	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in the area under jurisdiction along with the details of agencies involved in door to door collection	
(11)	Attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in the area under jurisdiction	
(12)	Attach details of infrastructure required, if any along with justification	
(13)	Quantity of Plastic Waste generated during the year from area under jurisdiction (in tons)	
(14)	Quantity of Plastic Waste collected during the year from area under jurisdiction (in tons)	
(15)	Quantity of plastic waste channelized for recycling during the year (in tons)	
(16)	Quantity of plastic waste channelized for use during the year (in tons)	
(17)	Quantity of inert or rejects sent to landfill sites during the year (in tons)	
(18)	Details of each of facilities used for processing and disposal of plastic waste **Facility-I** i) Name of operator ii) Address with Telephone Number or Mobile iii) Capacity iv) Technology Used v) Registration Number vi) Validity of Registration (up to)	

LawCode

Name of the SPCB or PCC	Estimated Plastic Waste generation Tons Per Annum (TPA)	No. of registered Plastic Manufacturing or Recycling (including multilayer, compostable) units. (Rule 9)			No. of Unregistered plastic manufacturing Recycling units. (in residential or unapproved areas)	Details of Plastic Waste Management (PWM) e.g. Collection, Segregation, Disposal (Co-processing road construction etc.) (Rules 6) (Attach separate	Partial or complete ban on usages of Plastic Carry Bags (through Executive Order) (Attach copy of notification or executive order)	Status of Marking Labelling on carry bags (Rule 8) [Specify the number of units or not complied)complied	Explicit Pricing of carry bags (Rule 10)	Details of the meeting of State Level Advisory Body (SLA) along with its recommend-dations on Implemen-tation (Rule 11)	No. of violations and action taken on non-compliance of provisions of these Rules	Number of Municipal Authority or Gram Panchayat-under jurisdiction and Submission of Annual Report to CPCB (Rule 12)
		Plastic units	Compostable Plastic Units	Multilayer Plastic units								

	Facility-II i) Name of operator ii) Address with Telephone Number or Mobile iii) Capacity iv) Technology Used v) Registration Number Validity of Registration (up to)	
(19)	Give details of: Local body's own manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.	
(20)	Give details of: Contractor or concessionaire's manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.	
(21)	Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules including the financial constrains, if any	
(22)	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city? If yes (attach copy) Date of revision:	

Signature of CEO or Municipal Commissioner or

Executive Officer or Chief Officer

Date:

Place:

Form-VI

STATE-WISE STATUS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016 FOR THE YEAR … ANNUAL REPORT Format

IndiaCode

						sheet)						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

[F. No. 17-2/2001-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937
No. 178] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि. 320(अ).—भारत सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 249(अ), तारीख 4 फरवरी, 2011 के *तहत* प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया। इन नियमों ने देश में जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंध के लिए एक नियामक ढ़ांचा उपलब्ध कराया;

और इन नियमों को अधिक कारगर ढंग से लागू करने और प्लास्टिक अपशिष्ट को न्यूनतम करने, स्रोत पर पृथक्करण, पुन: चक्रण पर बल देने के लिए घरों से अथवा इसके जनन के अन्य किसी स्रोत से अथवा मध्यवर्ती सामग्री पुन: प्राप्ति सुविधा से प्लास्टिक अपशिष्ट के टुकड़ों के संग्रहण में अपशिष्ट बीनने वालों, पुन: चक्रकों और अपशिष्ट संसाधकों को शामिल किया और अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की दीर्घकालिकता के लिए प्रदूषकों के भुगतान करने का सिद्धांत अपनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने वर्तमान नियमों की समीक्षा की;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा नियम अर्थात प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2015 भारत के राजपत्र में सा.का.नि.423(अ), तारीख 25 मई, 2015 के तहत प्रकाशित कराए गए थे जिसमें जिस तारीख को उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं उससे 60 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व इनसे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 मई, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से उक्त अवधि के अंदर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया है;

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों को छोड़कर जो उक्त अधिक्रमण से पूर्व की गई है अथवा जिनका विलोप किया गया है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 है।

(2) इन नियमों में उपबंध के सिवाए वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.-

(1) ये नियम प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत विनिर्माता और उत्पादक को लागू होंगे।

(2) नियम 4 केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात के आदेश के लिए अपने उत्पाद के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख इकाइयों या विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों पर लागू नहीं होगा: परन्तु यह छूट गुटका, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी इकाइयों और किसी अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भी लागू नहीं होगी।

3. परिभाषाएं.- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(क) **"अधिनियम"** से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) **"ब्रांड स्वामी"** ऐसे व्यक्ति या कंपनी से अभिप्रेत है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है।

(ग) **"कैरी बैग"** से प्लास्टिक सामग्री या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया गया, ले जाने या वस्तुएं तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैग अभिप्रेत है जिसमें स्वत: ले जाने की विशिष्टता है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नहीं है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है;

(घ) **"वस्तु से"** ऐसा मूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित है;

(ङ) **"कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई-आक्साइड, जल, अकार्बनिक यौगिकों को कंपोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कंपोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य, विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नहीं छोड़ती है;

(च) **"सहमति"** से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण या नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन संबद्ध राज्य प्रदूषण नियुत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंनियंत्रण समिति से स्थापित करने की सहमति और उसे चलाने की सहमति अभिप्रेत है;

(छ) **"विघटन"** से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है;

(ज) **"विस्तारित उत्पादक दायित्व"** से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावर्णीय रूप से सुदृढ़ के लिए उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है;

(झ) **"खाद्य पदार्थ"** से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्ध ठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाए हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत हैं;

(ञ) **"सुविधा"** से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भंडारण, पुन: चक्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयोग किए जाने वाला परिसर अभिप्रेत है;

(ट) **"आयातकर्ता"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयात करता है या करने का इरादा रखता है और जिसके पास आयात-निर्यात करने का लाइसेंस है, जब तक उसे अन्यथा विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो;

(ठ) **"संस्थागत अपशिष्ट जनित्र"** से केन्द्रीय सरकारी विभागी, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्थल, संगठन, अकादमी, होटल, रेस्तरां, मॉल और शॉपिंग परिसरों द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

(ड) **"विनिर्माता"** से उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में लगा व्यक्ति या इकाई या अभिकरण अभिप्रेत है जो सम्मिलित है;

(ढ) **"बहुस्तरीय पैकेजिंग"** के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और कागज, काज बोर्ड, बहुलक्ष्य सामग्रियां, धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्नियां जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह-बहिर्वेधन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक सतह का संयोजन मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से एम स्तर रखती है;

(ण) **"प्लास्टिक"** से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीथाइलीन टेरेफेथेलेट, उच्च घनत्व पोलीथाइलीन, विनाइल, कम घनत्व पोलीथाइलीन, पोलीप्रोपीलीन, पोलीस्टाइरीन रेसिन, एक्रीलोनीट्रीइलीन बूटाडीन स्टाइरिन जैसी बहु सामग्री, पोलीफिनाइलीन आक्साइड, पोलीकार्बोनेट, पोलीबूटीलीन टेरेफिथालेट जैसी उच्च पालिमर के आवश्यक तत्व अनतर्विष्ट हों;

(त) **"प्लास्टिक चद्दर"** के प्लास्टिक चद्दर से अभिप्रेत है प्लास्टिक से बनी चद्दर;

(थ) **"प्लास्टिक अपशिष्ट"** से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या आशयित उपयोग के पश्चात फेंक दिया जाता है;

(द) **"विहित प्राधिकारी"** से नियम 12 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ध) **"उत्पादक"** से कैरी बैग या बहुतस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या जैसे के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक शीट या जैसे या प्लास्टिक शीट के बनाए गए कवर या वस्तु की पैकेजिंग या ढ़कने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति सम्मिलित हैं;

(न) **"पुन: चक्रीकरण"** नए उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्ची सामग्री में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है;

(प) **"रजिस्ट्रीकरण"** से यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबद्ध प्रदूषण नियंत्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;

(फ) **"पथ विक्रेता"** का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (1) में है;

(ब) **"शहरी स्थानीय निकाय"** से नगर निगम, म्युनिसिपलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद जैसे विभिन्न नामों वाले शहरी स्थानीय निकाय अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) या सुसंगत कानूनों के अधीन गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय और जहां प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध ऐसे अभिकरण को सौंपा गया है, सम्मिलित हैं;

(भ) **"अप्रयुक्त प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया है या रद्दी या अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्रित नहीं किया गया है;

(म) **"अपशिष्ट जनित्र"** से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था, भारतीय रेल, विमानपत्तन, बंदरगाह और रक्षा कन्टूनमेंट जो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते हैं, सहित रिहायसी और वाणिज्यिक स्थापना अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

(य) **"अपशिष्ट प्रबंध"** से प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रण, भंडारण, परिवहन, पुन: उपयोग, पुन: प्राप्ति, पुन:चक्रण, कंपोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है;

(र) **"अपशिष्ट चुनने वाले"** से पुन:चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनने में स्वैच्छिक रूप से लगे या प्राधिकृत किए गए व्यक्ति या एजेंसियां, व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है;

4. शर्तें.-

(1) कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग के बने आवरण का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएंगी, अर्थात :-

(क) कैरी बैग और प्लास्टिक पैकेजिंग या तो प्राकृतिक रंग में होंगे जो किसी मिलाए गए रंजक से रहित है या केवल उन्हीं रंजकों और रंगकों का उपयोग कर बनाए गए हैं जो समय-समय पर यथा-संशोधित "खाद्य पदार्थों, भेषजीय

पदार्थों और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिकों के उपयोग के लिए रंजकों और रंगकों की सूची" नामक शीर्षक से भारतीय मानक: आईएस 9833:1981 के अनुरूप हैं ;

(ख) पुन:चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग या पुन:चक्रित प्लास्टिक से बने उत्पादों का उपयोग खाने या पीने के लिए तैयार खाद्य सामग्री का भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए नहीं किया जाएगा;

(ग) अप्रयुक्त या पुन:चक्रित प्लास्टिक के बने किसी कैरी बैग की मोटाई में पचास माइक्रोन्स से कम नहीं होगी;

(घ) प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार, जो बहुस्तरीय पैकेजिंग और वस्तु की पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट के बने कवर का अभिन्न भाग नहीं है, की मोटाई पचास माइक्रोन्स से कम नहीं होगी, वहां छोड़कर जहां ऐसी प्लास्टिक शीट उत्पाद के कार्यरण में बाधक हो;

(ङ) विनिर्माता संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण न रखने वाले उत्पादक को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक को न बेचेगा या न उपलब्ध कराएगा या न व्यवस्था करेगा;

(च) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(छ) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुन: चक्रण समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक के प्लास्टिक के पुन:चक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा.14539:1998 के अनुरूप होगा;

(ज) मोटाई का प्रावधान कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर लागू नहीं होगा। कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग समय-समय यथा संशोधित कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भारतीय मानक आईएस या आईएसओ 17088:2008 के अनुरूप होंगे। कंपोस्ट योज्य कैरी बैग के विनिर्माता या विक्रेता विपणन या बिक्री करने से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे;

(झ) विनायल एसिटेट-मलेइक एसिड-विनायल क्लोराइड कोपॉलिमर सहित किसी भी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी पैकेज में सभी प्रकार के गुटका, पान मसाला और तम्बाकू के पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाएगा।

5. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध.-

(1) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने संबद्ध अधिकारिता में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध इस प्रकार होगा :-

(क) ऐसा प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे पुन:चक्रित किया जा सकता हो, को रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्टि पुन:चक्रक को पहुंचाया जाएगा और प्लास्टिक का पुन:चक्रण समय-समय पर यथा-संशोधित पुन:चक्रण के लिए दिशा-निर्देश नामक भारतीय मानक : आईएस 14534:1998 के अनुसार किया जाएगा;

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रधानत: ऐसे प्लास्टिक अपशिष्ट का जिसका पुन:चक्रीकरण नहीं किया जा सकता) के उपयोग को भारतीय रोड कांग्रेस दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण करने या ऊर्जा पुन: प्राप्त करने या वेस्ट टु ऑयल आदि हेतु करने को प्रोत्साहित करेंगी। इन प्रौद्योगिकियों के लिए निर्धारित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन किया जाएगा।

(ग) तापस्थायी प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण और व्ययन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा;

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुन:चक्रण या प्रसंस्करण की सुविधाओं के अक्रिय का व्ययन ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2000 के अनुपालन में या समय-समय पर संशोधन के अनुसार किया जाएगा।

6. स्थानीय निकाय का दायित्व.-

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय स्वयं या अभिकरण या उत्पादक लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण या संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा;

(2) स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, प्रचालन और समन्वय के लिए तथा सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्;

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;

(ग) पुन:चक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुन:चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट भाग के सरणीकरण को सुनिश्चित करना;

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्ग निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर पुन:चक्रण योग्य भाग के प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;

(ङ) सभी पणधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;

(च) अपशिष्ट चुनने वालों के साथ कार्य कर रहे सिविल सोसायटी या समूहों को लगाना; और

(छ) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।

(3) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए प्रणाली के गठन के लिए स्थानीय निकाय उत्पादकों की सहायता लेगा और इन नियमों को भारत के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसी प्रणाली का गठन किया जाएगा।

(4) स्थानीय निकाय इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उप-नियम बनाएगा।

7. ग्राम पंचायतों का दायित्व.-

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वयं या अभिकरण के माध्यम से अपने नियंत्रण के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और सहयोजित कृत्यों के अनुपालन के लिए स्थापना, प्रचालन और समन्वय करेगा अर्थात.-

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन और विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण रखने वाले पुन:चक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुन:चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट का सरणीकरण सुनिश्चित करना; यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;

(ख) सभी पणधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।

8. अपशिष्ट जनक का उत्तरदायित्व.-

(1) अपशिष्ट जनक.-

(क) समय-समय पर यथा संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2000 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के जनन को कम करने और स्त्रोत पर प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करने के कदम उठाएगा।

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट को न बिखरने देगा और स्त्रोत पर अपशिष्ट का पृथक भंडारण सुनिश्चित करेगा तथा पृथक अपशिष्ट को शहरी स्थायी निकायों या ग्राम पंचायत या उनके द्वारा नियुक्त एजेंसियों या अपशिष्ट चुनने वालों, रजिस्ट्रीकृत पुन:चक्रणकर्ताओं या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरणों को सौंपेगा;

(2) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत जनक उनके द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 के अनुसार करेंगे और पृथक्कृत अपशिष्टकों को स्वयं के या प्राधिकृत अपशिष्ट अभिकरण के माध्यम से प्राधिकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण या व्ययन सुविधा या निक्षेपण केन्द्रों को सौंपेंगे।

(3) सभी अपशिष्ट जनक ऐसी उपयोक्ता फीस या प्रभार अदा करेंगे जो अपशिष्ट संग्रहण या उसकी सुविधा के प्रचालन आदि जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट हो;

(4) खुली जगह में आयोजन की व्यवस्था करने वाला प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति जिसमें प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग में खाद्य सामग्री की सेवा अंतर्वलित है, ऐसे आयोजनों के दौरान जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और प्रबंधन इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 के अनुसार करेगा।

9. उत्पादकों, आयातकर्ताओं और ब्रांड स्वामियों का दायित्व.-

(1) उत्पादक इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर व्यक्तिगत या समूहिक रूप से अपने निजी वितरण चैनल या संबद्ध स्थानीय निकाय के माध्यम से विस्तारित उत्पादक दायित्व पर आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए राज्य शहरी विकास विभाग को सम्मिलित करते हुए रूपरेखा तैयार करेगा।

(2) उपयोग में लाए गए बहुस्तरीय प्लास्टिक शैशे या पाउचों या पैकेजिंग के संग्रहण का प्रमुख दायित्व उन उत्पादकों, आयातकर्ताओं और ब्राउंड स्वामियों का होगा जो बाजार में उत्पाद को पेश करते हैं। उन्हें अपने उत्पादों के कारण जनित प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है। संग्रह करने की यह योजना स्थापित करने या प्रचालन या नवीकरण के लिए सहमति हेतु आवेदन करते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करनी होगी। जिन ब्रांड स्वामियों की सहमति का नवीकरण इन नियमों की अधिसूचना से पहले कर दिया गया है वे इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के अंदर उक्त योजना प्रस्तुत कर देंगे और उसके दो वर्ष बाद लागू कर देंगे।

(3) पुन:चक्रीकरण न की जा सकने योग्य बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण एवं उपयोग, यदि कोई हो, दो वर्ष में बंद कर दिया जाएगा।

(4) उत्पादक राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए राज्यों या संबद्ध संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के यथास्थिति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।

(5) कोई उत्पादक राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों से रजिस्ट्रीकरण के बिना वस्तुओं के पैकेजिंग के लिए किसी प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण या उपयोग नहीं करेगा।

(6) प्रत्येक उत्पादक कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग के बने कवर के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्ति के ब्यौरों के अभिलेख बनाए रखेगा।

10. कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्रियों के लिए नयाचार.- प्लास्टिक सामग्री के अविक्रमित की डिग्री और विघटन की डिग्री का निर्धारण, इन नियमों की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध भारतीय मानकों के नयाचारों के अनुसार होगा।

11. मार्का या लेबल लगाना.- (1) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय पैकेजिंग पर अंग्रेजी में निम्नलिखित जानकारी मुद्रित की जाएगी, अर्थात् :-

(क) कैरी बैग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम, उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या और मोटाई; और

(ख) बहुस्तरीय पैकेजिंग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या।

(ग) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग की दशा में नाम और प्रमाणपत्र सं. [नियम 4(ज)]।

(2) प्रत्येक पुन:चक्रित कैरी बैग पर निम्नलिखित रूप में यथादर्शित "पुन:चक्रित" लेबल या चिन्ह होगा और भारतीय मानके के समय-समय पर यथा संशोधित पुन:चक्रित प्लास्टिक के लिए मार्गदर्शक नामक विनिर्देश भा.मा.14534:1998 के अनुसार होगा;



टिप्पण : पैट-पोलीथाइलिन टेरीफैथेलेट, एचडीईपी-उच्च डेंसिटी पोलीथाइलिन, वी-विनाइल (पीवीसी), एलडीपीई - निम्न डेंसिटी पोलीथाइलिन, पीपी-पोलीप्रोपिलिन, पीएस पोलीस्टायरिन और अन्य से अभिप्रेत सभी अन्य राल और बहुसामग्रियां हैं जैसे एबीएस (एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन स्टायरिन), पीपीओ (पोलीफेननाइलिन आक्साइड), पीपी (पोलीकार्बोनेट), पीवीटी (पोलीबूटीलेन पेरीफेलेट) आदि।

(3) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने प्रत्येक कैरी बैग पर कंपोस्ट योज्य का लेबल लगा होगा और भारतीय मानक के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक विनिर्देश भा.मा./भा.मा.स.17088:2008 के अनुरूप होगा।

12. विहित प्राधिकारी.- (1) किसी संघ राज्य क्षेत्र की बाबत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति रजिस्ट्रीकरण, प्लास्टिक उत्पादों और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण, अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रसंस्करण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा;

(2) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विभाग का संबद्ध भारसाधक सचिव अपशिष्ट जनक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के प्लास्टिक शीटों और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कवर के उपयाग से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा;

(3) संबद्ध ग्राम पंचायत राज्य सा संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जनक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के प्लास्टिक शीटों और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कवर के उपयोग से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा;

(4) उप-नियम (1) से (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन में संबद्ध जिले की अधिकारिता की राज्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की सहायता लेगा।

13. उत्पादक, पुन:चक्रणकर्ता और विनिर्माणकर्ता का रजिस्ट्रीकरण.- (1) कोई व्यक्ति कैरी बैगों या पुन:चक्रित प्लास्टिक बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिकों का विनिर्माण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न हो गया हो;

(2) प्रत्येक उत्पादनकर्ता रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति को उपाबद्ध प्ररूप 1 का प्रयोग करते हुए आवेदन करेगा।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो कैरी बैग और बहुस्तरीय प्लास्टिकों या प्लास्टिक अपशिष्ट का पुन:चक्रण करता है या पुन:चक्रण करने के लिए प्रस्ताव करता है, उपाबद्ध प्ररूप 2 का प्रयोग करते हुए पुन:चक्रण यूनिट के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।

(4) उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक के विनिर्माण में लगे प्रत्येक विनिर्माता प्ररूप 3 में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबद्ध संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।

(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति विनिर्माण या पुन:चक्रण यूनिटों के लिए कोई रजिस्ट्रीकरण तब तक जारी नहीं करेगी या उसका नवीकरण नहीं करेगी जब तक कि यूनिट, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन कोई विधिमान्य सहमति नहीं रखती हो और जिला उद्योग केन्द्र या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र न रखती हो।

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति उत्पादक के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण तब नहीं करेगा जब तक उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रणाली की स्थापना के लिए संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विकास के भारसाधक सचिव द्वारा पृष्ठांकित कार्य योजना न रखता हो।

(7) उपनियम (3) के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के पुन:चक्रण या प्रसंस्करण के रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक के पास समुचित सुविधाएं तकनीकी योग्यताएं और प्लास्टिक अपशिष्ट से

सुक्षित रूप से निपटने के लिए उपकरण हैं, ऐसी शर्तों के पूरा होने पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगा जो रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों में अभिकथित की जाएं।

(8) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने हेतु विनिश्चय करेगा।

(9) इस नियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण जब तक कि वह विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और बाद में उसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(10) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, रजिस्ट्रीकरण को उत्पादक या प्लास्टिक अपशिष्ट के पुन:चक्रण या प्रसंस्करण में लगे हुए व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं करेगी।

(11) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्यक आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से कम से कम एक सौ बीस दिन पूर्व किया जाएगा।

14. खुदरा विक्रेताओं और पथ विक्रेताओं का दायित्व.- (1) खुदरा विक्रेता या पथ विक्रेता उपभोक्ता को ऐसे कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग में वस्तु नहीं बेचेगा या उपलब्ध कराएगा जो इन नियमों के अधीन विहितानुसार विनिर्मित या लेबल लगे या चिन्हित नहीं है।

(2) प्लास्टिक कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या ऐसे प्लास्टिक शीट से बने जो इन नियमों के अनुसार विनिर्मित या लेबलित या चिन्हित नहीं है, में वस्तुओं को बेचने या उपलब्ध कराने वाला प्रत्येक खुदरा विक्रेता या पथ विक्रेता ऐसा जुर्माना देने का दायी होगा जो स्थानीय निकायों की विधियों में विनिर्दिष्ट हो।

15. कैरी बैगों की कीमत सुनिश्चित करना.- (1) जो दुकानदार और पथ विक्रेता किसी वस्तु को वितरित करने के लिए प्लास्टिक के कैरी बैग उपलब्ध कराना चाहते हैं उन्हें स्थानीय निकाय के पास पंजीकरण करना होगा। स्थानीय निकाय, भारत के राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशित होने की तारीख से छह माह की अवधि के अंदर, चार हजार रुपये प्रतिमाह की दर से न्यूनतम अड़तालीस हजार रुपये का प्लास्टिक प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने के बाद ऐसे पंजीकरण के लिए अपने राज्य के उपयुक्त कानून या उपनियमों के तहत अधिसूचना या आदेश के द्वारा प्रावधान करेगा। संबंधित स्थानीय निकाय उत्पादन या बिक्री क्षमता को ध्यान में रखते हुए अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क निर्धारित कर सकता है। पंजीकृत दुकानदार प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेगा कि प्लास्टिक कैरी बैग भुगतान करने पर दिए जाते हैं।

(2) वस्तुओं का वितरण करने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध कराने के लिए केवल पंजीकृत दुकानदार या पथ विक्रेता पात्र होंगे।

(3) शहरी स्थानीय निकाय कैरी बैगों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा संदत रकम का अनन्यत: उपयोग अपनी अधिकारिताओं के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की संधार्यता के लिए करेगा।

16. राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति.- (1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, इन नियमों के क्रियान्वयन के प्रभावी मॉनीटरिंग करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :-

(क)	सचिव, शहरी विकास विभाग	-	अध्यक्ष
(ख)	राज्य पर्यावरण विभाग से निदेशक	-	सदस्य
(ग)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से सदस्य सचिव	-	सदस्य
(घ)	म्युनिसिपल कमीशनर	-	सदस्य
(ङ)	स्थानीय निकाय से एक विशेषज्ञ		सदस्य
(च)	गैर सरकारी संगठन से एक विशेषज्ञ जो अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल हो	-	सदस्य
(छ)	कमीशनर वैल्यु ऐडेड टैक्स या उसका प्रतिनिधि	-	सदस्य
(ज)	बिक्री कर कमीशनर या अधिकारी	-	सदस्य
(झ)	प्लास्टिक संघ, ड्रग मॅन्युफैक्चरर एसोसिएशन, केमिकल मॅन्युफैक्चरर	-	सदस्य

एसोसिएशन का प्रतिनिधि

(ञ) उद्योग क्षेत्र से एक विशेषज्ञ - सदस्य

(ट) शिक्षा संस्था के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ - सदस्य

(ठ) निदेशक, म्युनिसिवल प्रशासन - संयोजक

राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय छह माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा और यदि वह आवश्यक समझता है तो विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा।

17. वार्षिक रिपोर्टें.- (1) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुन:चक्रण या प्रसंस्करण में लगा प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप 4 में वार्षिक रिपोर्ट्स तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति की सूचना के अधीन संबद्ध शहरी स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक वर्ष की 30 जून संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति की सूचना के अधीन शहरी विकास के संबद्ध भारसाधक सचिव को प्ररूप-5 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण समिति, प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक इन नियमों के क्रियान्वयन पर प्ररूप-VI में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लास्टिक अपशिष्टों के उपयोग और प्रबंधन पर समेकित एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त से पूर्व अपनी सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

अनुसूची-I

(नियम 10 देखें)

1.	भा.मा./भा.मा.स.14851:1999 जलीय माध्यम से प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - बंद रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता मापन द्वारा पद्धति
2.	भा.मा./भा.मा.स.14852:1999 जलीय माध्यम में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति
3.	भा.मा./भा.मा.स.14853:2005 प्लास्टिक - जलीय तंत्र में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - बायोगैस उत्पादन के मापन द्वारा पद्धति
4.	भा.मा./भा.मा.स.14855-1:2005 नियंत्रिक संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाईऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग-1 सामान्य पद्धति)
5.	भा.मा./भा.मा.स.14855-2:2007 नियंत्रिक संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग-2; प्रयोगशाला-स्केल परीक्षण में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का भारात्मक मापन)
6.	भा.मा./भा.मा.स.15985:2004 प्लास्टिक - 4उच्च ठोसता की अनॉक्सी (एनोरोबिक) डाइजेशन स्थितियों में अंतिम (अल्टीमेट) अनॉक्सी (एनोरोबिक) जैव विघटनीयता एवं विघटन ज्ञात करना - निकली बायोगैस की विश्लेषण पद्धति
7.	भा.मा./भा.मा.स.16929:2002 प्लास्टिक - पायलट मापन परीक्षण में परिभाषित संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री के विघटन का स्तर ज्ञात करना
8.	भा.मा./भा.मा.स.17556:2003 प्लास्टिक - रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता अथवा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के मापन द्वारा मृदा में अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना
9.	भा.मा./भा.मा.स.20200:2004 प्लास्टिक - प्रयोगशाला में अनुरूपी कंपोस्टिंग स्थितियों में प्लास्टिक सामग्रियों के विघटन का स्तर ज्ञात करना - स्केल परीक्षण

प्ररूप-I

[नियम 13(2) देखें]

उत्पादकों या ब्रांड स्वामियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक

.....

..... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

..... प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

.....

.....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2015 के नियम 9 के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

I. उत्पादक

	भाग-क साधारण	
1. (क)	इकाई का नाम और अवस्थिति	
(ख)	इकाई का नाम	
(ग)	निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पंजीकरण : (i) कैरी बैग [(क) पैट्रो आधारित, (ख) कंपोस्ट योज्य] (ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक	
(घ)	विनिर्माण क्षमता	
(ड.)	नवीकरण की दशा में, पूर्व रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
2.	क्या इकाई, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में जिला उद्योग केन्द्र में रजिस्ट्रीकरण है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
3. (क)	परियोजना पर निवेशित कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन आरंभ करने का वर्ष	
4. (क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
5.	उत्पादों और उत्पादित अपशिष्ट निबंधनों में जिसके अधीन केप्टिव विद्युत उत्पादन और जल भी है, निवेश और उत्पादन को दर्शित करते हुए विनिर्माणकारी प्रक्रिया का एक प्रवाहित डायग्राम प्रस्तुत करें।	
6.	इन नियमों के अनुपालन की प्रास्थिति - मोटाई - पचास माइक्रोन (हां/नहीं)	
	भाग-ख द्रव बहिस्राव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित	
7.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
	भाग-ग	

IndiaCode

	अपशिष्ट से संबंधित	
8.	ठोस अपशिष्ट : (क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए अपबंध	
9.	कैरी बैग अथवा समान प्रकार की प्लास्टिक शीट अथवा बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए प्लास्टिक की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों की सूची संलग्न करें/उपलब्ध कराएं।	
10.	उन कार्मिकों या ब्रांड स्वामियों की सूची संलग्न करें/उपलब्ध कराएं जिन्हें उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी	
11.	प्लास्टिक अपशिष्ट का वापस संग्रहण करने की कार्य योजना	
	नाम और हस्ताक्षर पदनाम तारीख : स्थान :	

II ब्रांड स्वामी

	भाग-क सामान्य	
1.	नाम, पता और संपर्क नम्बर	
2.	नवीकरण की दशा में पिछला रजिस्ट्रीकरण नम्बर और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
3.	क्या इकाई राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केन्द्र या डीसीएसएसआई में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
4.(क)	परियोजना में निवेशित कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन प्रारंभ करने का वर्ष	
5.(क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
	भाग - ख द्रव बहिस्राव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित	
5.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
6.	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	

	भाग-ग अपशिष्ट से संबंधित	
7.	ठोस अपशिष्ट : (क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए अपबंध	

IndiaCode

8.	उन कार्मिकों या ब्रांड स्वामियों की सूची संलग्न करें/उपलब्ध कराएं जिन्हें उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी	
9.	प्लास्टिक अपशिष्ट का वापस संग्रहण करने की कार्य योजना	
		नाम और हस्ताक्षर पदनाम
तारीख : स्थान :		

प्रपत्र - II

[नियम 13 (3) देखें)]

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण में संलग्न इकाइयों के पंजीकरण हेतु आवेदन-प्रपत्र

1.	इकाई का नाम और पता				
2.	संपर्क व्यक्ति, पदनाम, टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित				
3.	प्रारंभ किए जाने की तारीख				
4.	कर्मकारों की संख्या (संविदा श्रम सहित)				
5.	सहमति विधिमान्यता	क. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तक विधिमान्य ख. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तक विधिमान्य ग. प्राधिकरण ; तक विधिमान्य			
6.	विनिर्माण प्रक्रिया	कृपया विनिर्माण, प्रक्रिया का प्रवाहित डायग्राम संलगन करें प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रवाहित डायग्राम।			
7.	उत्पाद और उत्पादन की संस्थित क्षमता (एमटीए)	उत्पाद		संस्थित क्षमता	
8.	अपशिष्ट प्रबंधन	क्रम सं.	किस्म	श्रेणी	मात्रा
	क. प्लास्टिक अपशिष्ट में अपशिष्ट जनन	(i)			
		(ii)			
		(iii)			
	ख. अपशिष्ट संग्रह और परिवहन (विवरण संलगन करें)				
	ग. अपशिष्ट निपटान का विवरण	क्रम सं.	किस्म	श्रेणी	मात्रा
		(i)			
		(ii)			
	घ. निपटान सुविधा का ब्यौरा उपलब्ध कराएं, क्या सुविधा एसपीसीबी या पीसीसी द्वारा प्राधिकृत है				
	ड. कृपया जनित अपशिष्ट के वर्गीकरण की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें (यदि लागू हो तो लीचेट परीक्षण सहित)				
9.	कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग के लिए, यथा स्थिति, बिक्री, नीलामी, संविदा या आयात के जरिए अर्जित होने वाले प्रस्तावित प्लास्टिक अपशिष्ट का ब्यौरा	(i) नाम (ii) प्रति वर्ष अपेक्षित मात्रा			
10.	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी पहलू	कृपया सुविधाओं का ब्यौरा दें			
11.	प्रदूषण नियंत्रण के उपाय				
	क्या उत्सर्जन या बहि:स्राव के मानकों को पूरा करने के				

IndiaCode

	लिए इकाई के पास पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां या उपस्कर है।	
	क्या इकाई उक्त नियमों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती है।	
	क्या हथालन अथवा प्रसंस्कृत की जारी सामग्री के पर्यावरण पर पड़ने वाले तत्काल या विलंब से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए परिस्थितियां विद्यमान हैं या विद्यमान होने की संभावना है।	
	क्या हथालन अथवा प्रसंस्कृत की जा रही सामग्री किसी भी साधन से अन्य सामग्री (अर्थात् लीचेट) उत्पन्न करने में सक्षम है, उसके लिए परिस्थितियां विद्यमान हैं (या विद्यमान होने की संभावना है जिसमें विषाक्तता हो सकती है)	
12.	कोई अन्य प्रासंगिक सूचना, जिसमें अग्नि या दुर्घटना प्रशमनकारी उपाय शामिल है	
13.	नियमानुसार संलग्नों की सूची	

नाम और हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख :

स्थान :

प्ररूप-III

[नियम 13(4) देखें]

अपरिष्कृत प्लास्टिक विनिर्माताओं के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

प्रेषक

.....

..... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

..... प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

.....

.....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2011 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन करता हूं/करते हैं।

भाग-क सामान्य		
1. (क)	इकाई का नाम और अवस्थिति	
(ख)	इकाई का पता	
(ग)	नवीकरण के मामले में, पिछली रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
2.	क्या यह इकाई राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की डीआईसी/डीसीएसएसआई में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हो, तो	

IndiaCode

	रजिस्ट्रीकरण की प्रति संलग्न करें।	
3. (क)	परियोजना पर निवेश की गई कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन शुरू करने का वर्ष	
(ग)	उत्पादकों की सूची और उत्पादकों को आपूर्ति किए गए कच्चे माल की प्रमात्रा	
		नाम और हस्ताक्षर पदनाम
तारीख : स्थान :		

प्ररूप-IV

(नियम 17(1) देखें)

स्थानीय निकाय को प्लास्टिक प्रसंस्करण या पुन:चक्रण सुविधा के प्रचालनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

रिपोर्टिंग की अवधि :

(1)	सुविधा के प्रचालकर्ता का नाम और पता	
(2)	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम (दूरभाष/फैक्स/मोबाइल/ई-मेल)	
(3)	क्षमता :	
(4)	प्लास्टिक अपिशष्ट के प्रबंधन हेतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकियां :	
(5)	प्रस्तुत रिपोर्ट के वर्ष के दौरान प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रमात्रा तथा उसका स्रोत	
(6)	प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रमात्रा (टनों में) : - पुनर्चक्रित पलास्टिक अपशिष्ट (टन में) - प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में) - उपयोग में लाया गया (टन में)	
(7)	खत्ता स्थलों में अंतिम निपटान हेतु भेजे गए बेकार/अस्वीकृत अपशिष्टों की प्रमात्रा :	
(8)	उस खत्ता सुविधा का ब्यौरा जहां बेकार/अस्वीकृत अपशिष्टों को अंतिम निपटान हेतु भेजा गया है : - पता - दूरभाष	
(9)	सहमति प्रदान करने या पंजीकरण के दौरान यदि कोई पर्यावरणीय शर्त विनिर्दिष्ट की गई हो तो उसके अनुपालन की स्थिति संलग्न करें।	

प्रचालनकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप-V

(नियम 17(2) देखें)

स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

IndiaCode

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि :

(1)	शहर/नगर और राज्य का नाम	
(2)	जनसंख्या	
(3)	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	
(4)	स्थानीय निकाय का नाम और पता टेलीफोन सं. फैक्स सं. ई-मेल :	
(5)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या	
(6)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में घरों की कुल संख्या	
(7)	घर-घर जाकर किए गए एकत्र करने में शामिल घरों की संख्या	
(8)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में वाणिज्यिक संस्थाओं और संस्थानों की कुल संख्या - वाणिज्यिक संस्थाएं - संस्थान	
(9)	प्रत्येक संस्थान/संस्थान में जाकर एकत्र करने के लिए सम्मिलित वाणिज्यिक संस्थाओं और संस्थानों की संख्या - वाणिज्यिक संस्थाएं - संस्थान	
(10)	घर-घर जाकर एकत्रण में शामिल एजेंसियों के ब्यौरे सहित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु तैयार किए गए तंत्रों का सारांश	
(11)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु तैयार की गई अवसंरचना का ब्यौरा संलग्न करें	
(12)	अपेक्षित अवसंरचना, यदि कोई हो, के औचित्य सहित उसका ब्यौरा संलग्न करें	
(13)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वर्ष के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(14)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र से वर्ष के दौरान एकत्रित किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(15)	वर्ष के दौरान पुनर्चक्रण हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(16)	वर्ष के दौरान उपयोग हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(17)	वर्ष के दौरान भू-भराव स्थलों को भेजे गए बेकार/अस्वीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(18)	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान हेतु प्रयुक्त प्रत्येक सुविधा का ब्यौरा **सुविधा-1** i) प्रचालक का नाम ii) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सहित पता iii) क्षमता iv) प्रयुक्त प्रौद्योगिकी v) पंजीकरण संख्या	

IndiaCode

	vi) पंजीकरण की वैधता (तक) **सुविधा-2** i) प्रचालक का नाम ii) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सहित पता iii) क्षमता iv) प्रयुक्त प्रौद्योगिकी v) पंजीकरण संख्या vi) पंजीकरण की वैधता (तक)	
(19)	ब्यौरा दें : गली की सफाई, अपशिष्ट के द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित एकत्रण हेतु तैनात की गई स्थानीय निकायों की निजी जनशक्ति।	
(20)	ब्यौरा दें : गली की सफाई, अपशिष्ट के द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित एकत्रण हेतु तैनात की गई ठेकेदार/ग्रहियों की जनशक्ति।	
(21)	वित्तीय बाध्यताओं, सहित इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों, यदि कोई हों, का उल्लेख करें	
(22)	क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों में सुधार करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हो तो (प्रति संलग्न करें) संशोधन की तारीख :	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप-VI

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन की वर्ष की राज्यवार स्थिति

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति का नाम	अनुमानित प्लास्टिक अपशिष्ट जनन टन प्रति वर्ष (टीपीए)	रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक विनिर्माता या पुन: चक्रण इकाइयों की संख्या (प्रवर्धक, कंपोस्ट योज्य सहित) (नियम 9)			गैर-रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक विनिर्माता या पुन:चक्रण इकाईयों की संख्या (आवासीय या अनधिकृत क्षेत्रों में)	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण (पीडब्ल्यूएम) अर्थात संग्रहण, पृथक्करण, निपटान (सह-प्रसंस्करण सड़क निर्माण आदि) (नियम 6) (अलग पृष्ठ संलग्न करें)	प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर आंशिक अथवा पूर्ण प्रतिबंध (कार्यकारी आदेश के जरिए) (अधिसूचना या कार्यकारी आदेश की प्रति संलग्न करें)	कैरी बैग पर मार्क करने, लेबल लगाने की स्थिति (नियम 8) (अनुपालन करने/अनुपालन नहीं करने वाली इकाइयों की संख्या का उल्लेख करें)	कैरी बैगों का स्पष्ट मूल्य निर्धारण करना (नियम 10)	राज्य स्तरीय सलाहकार संस्था (एसएलए) की बैठकों तथा साथ ही कार्यान्वियन के संबंध में इसकी सिफारिशों का विवरण (नियम 11)	उल्लंघनों की संख्या और इन नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर की गई कारवाई	क्षेत्राधिकार के अधीन म्यूनिसिपल प्राधिकरणों या ग्राम पंचायतों की संख्या और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना (नियम 12)
		प्लास्टिक इकाई	कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक इकाई	बहुस्तरीय प्लास्टिक इकाई								
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

[फा. सं. 17—2/2001—एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2016

G.S.R. 320(E).—Whereas the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 published vide notification number S.O 249(E), dated 4th February, 2011 by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, as amended from time to time, provided a regulatory frame work for management of plastic waste generated in the country;

And whereas, to implement these rules more effectively and to give thrust on plastic waste minimization, source segregation, recycling, involving waste pickers, recyclers and waste processors in collection of plastic waste fraction either from households or any other source of its generation or intermediate material recovery facility and adopt polluter's pay principle for the sustainability of the waste management system, the Central Government reviewed the existing rules;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the draft rules, namely, the Plastic Waste Management, Rules, 2015 were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number G.S.R. 423(E), dated the 25th May, 2015 in the Gazette of India, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 25th May, 2015;

And Whereas the objections and suggestions received within the said period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government**;**

NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules shall be called the Plastic Waste Management Rules, 2016.

(1) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.-(1) These rules shall apply to every waste generator, local body, Gram Panchayat, manufacturer, Importers and producer.

(2) The rule 4 shall not apply to the export oriented units or units in special economic zones, notified by the Central Government, manufacturing their products against an order for export: Provide this exemption shall not apply to units engaged in packaging of gutkha, tobacco and pan masala and also to any surplus or rejects, left over products and the like.

3. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires.-

(a) **"Act"** means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) **"brand owner"** means a person or company who sells any commodity under a registered brand